Witness No. .....01..... for .....अभियोजन साक्षी..... deposition taken the 06.02.2023 day of सोमवार Witness's apparent age 27 वर्ष ....

States on affirmation शपथपूर्वक My name is रसिया उर्फ राय सिंह..... S/ of श्री शिवचरण ..... occupation ..... खेती किसानी ..... address. ग्राम अमझर, थाना-पसान, जिला-कोरबा (छ०ग०)

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विश्वजीत देवनाथ, ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन।

1/ मैं शुकुल को जानता हूं, वह मेरा भाई था। उसकी मृत्यु आज से 5 माह पूर्व बिमारी से हो गयी है। उसकी मा का नाम कदम कुवर है, जो मेरी चाची लगती है। शुकुल के पिता और मेरे पिताजी आपस में भाई है।

2/ शीशकली शुकुल के भाई ओम प्रकाश जिसकी मृत्यु हो गयी है, की विधवा है। वह अपनी सास कदम कुंवर के साथ रहती है। मेरा घर शुकुल के घर के पास में है।

3/ विडियो कान्फ्रेसिंग से उपस्थित अभियुक्त आनंद उर्फ राजाराम को जानता हूं। घटना की तिथि मुझे आज याद नहीं है। अंदाज से कितने माह पूर्व की घटना है, वह भी मैं नहीं बता सकता। घटना दिनांक की रात में हल्ला गुल्ला सुनकर मैं घटनास्थल गया था, लेकिन पास से घटना नहीं देखा था, बाद में कदम कुंवर को देखने अस्पताल गया था। अस्पताल में कदम कुंवर के गर्दन में चोट लगा होना देखा था। बाद में मुझे शुकुल के बताने पर मालूम चला था कि आरोपी आनंद उर्फ राजाराम ने कदम कुंवर को उक्त चोट कारित किया था। मैंने पुलिस को बयान नहीं दिया है।

4/ मेरे समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुयी है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०**-01** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

इसी स्तर पर ए0पी0पी0 श्री विश्वजीत देवनाथ के द्वारा साक्षी को प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति चाहा। विचार बाद प्रकरण का अवलोकन कर अनुमति दी जाती है।

5/ यह कहना गलत है कि आहता कदम कुंवर का खून लगी साड़ी पुलिस ने मेरे समक्ष जप्त किया था।

6/ मुझे जानकारी नहीं है कि कुमान की मां शुकुल की मां कदम कुंवर को जादू टोना करती है, कहती थी। यह कहना गलत है कि मैंने ऐसा ही पुलिस को पुलिस कथन प्रदर्श पी०**-02** अनुसार बताया था। यह कहना सही है कि घटना दिनांक को शीशकली ग्राम चुल्हन गयी थी। यह कहना सही है कि आहता कदम कुंवर के आंगन तरफ गेट में दरवाजा नहीं लगा है, बांस का टटरा लगा है, और सामने तरफ दरवाजा लगा है। घटना दिनांक को वे लोग खाना खाकर सोये थे और बगल वाले कमरे में शुकुल सिंह अपनी पत्नी कुंवरिया के साथ सोया था। यह कहना सही है कि शुकुल ने मुझे आकर बताया था कि रात में 1.00 बजे मां के चिल्लाने का आवाज आया तो उसने टार्च जलाकर देखा तो मां के गला को आनंद उर्फ राजाराम धारदार हथियार से काट रहा था और राम प्रसाद उसके दोनों पैर को पकड़ा था,

कौन है कहकर टार्च जलाने पर दोनों निकलकर भागे, राजाराम हाथ में लोहे का गडासा रखा था और कदम कुंवर के गले में चोट लगा था, खून बह रहा था। स्वतः कहा यह बात उसने मुझे सुबह बतायी थी। यह कहना गलत है कि यह बात उसने मुझे रात में 1.30 बजे बतायी थी।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती संगीता श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

7/ यह बात सही है कि घटना के बारे में मैंने जो भी बताया है, वह शुकुल के द्वारा बतायेनुसार ही बताया है। यह बात भी सही है कि मैंने कोई घटना होते हुए नहीं देखा है। यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को घटना नहीं देखा है, इसलिए किसने मारा है और किस हथियार से मारा है, यह नहीं बताया है। यह बात सही है कि मैंने पुलिस को बयान नहीं दिया है। मैं नहीं जानता कि घटना दिनांक के 2 दिन पहले से ही आनंद उर्फ राजाराम अपने मामा के घर गया हुआ था। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को मैंने आनंद उर्फ राजारामा को नहीं देखा था। स्वतः कहा दिन में देखा था। यह कहना सही है कि रात में 9.00 बजे कदम कुंवर और शुकुल खाना खाकर सो गये थे, यह बात भी मैंने नहीं देखा था। यह कहना सही है कि मैंने यह भी नहीं देखा था कि कदम कुंवर के घर के बाहर का दरवाजा अंदर से सिटकनी लगा हुआ था और आंगन के दरवाजे के जगह पर लगा हुआ बांस के टटरे को डण्डे से बंद किये थे।

साक्षी का पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।
सही/-

जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ0ग0)

मेरे कहने पर टंकण किया गया।
सही/-

जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ0ग0)